मनोवैज्ञानिक से जानिए धर्मगुरु कैसे बनाते हैं अंधभक्त

धर्म की आड़ लेकर बलात्कार, हत्या जैसे संगीन मामलों में दोषी पाए गए राम रहीम जैसे बाबाओं को इतना अटेंशन मिलने का क्या कारण है, बता रहे हैं वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी।

बाबाओं को समाज में इतना तूल देने के मामले में कुछ लोगों को लगता है कि राम रहीम या अन्य किसी बाबा समर्थकों की लाइन में वो पहली पंक्ति में सामने दिखेंगे तो उन्हें मीडिया समेत दूसरी जगह अटेंशन मिलेगा। लाइमलाइट में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई उन्हें जानता तक नहीं था। अचानक उन्हें हीरो बनने जैसा अहसास होने लगता है।

मोब मानसिकता

दूसरा इस मामले को मोब मानसिकता या भीड़ कहेंगे, यानी आपकी दिशा आप खुद नहीं तय कर रहे होते, बल्कि कोई और यह तय कर रहा होता है कि आपको क्या करना है, आप जैसे एक रिमोट से नियंत्रित होते हैं। जहां पर भी भीड़ इकट्ठा होती है वहां पर भीड़ का अपना विवेक काम नहीं कर रहा होता बल्कि वह मोब की शक्ल अख्तियार कर लेती है। राम रहीम के मामले में उनके मैनेजर तय कर रहे हैं कि उन्हें भीड़ का इस्तेमाल कैसे करना है और इस मामले में अब तक हुई कई मौतों से यह बात साबित भी हो चुकी है।

गरीबों की भरमार

राम रहीम के भक्तों में तकरीबन 80 फीसदी लोग निम्न आय वर्ग तबके से जुड़े हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास दो जून की रोटी का जुगाड़ भी ठीक से नहीं है। बाबाओं द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं या आश्रम के मार्फत इनको कुछ आर्थिक मदद मिल जाती है, जैसे इनके बच्चों की शादी में कुछ मदद या फिर अन्य किसी तरह की दुर्घटनाओं या फिर त्रासदियों में इन्हें इनके आश्रमों से कुछ मदद मिल जाती है तो ये लोग सोचते हैं कि यही हमारे तारणहार हैं और ये बाबाओं के अंधभक्त बन इनके लिए मरने-मारने तक को तैयार हो जाते हैं।

सम्मान ही सबसे बड़ा सहयोग

ऐसा ही बाबा राम रहीम के मामले में भी दिख रहा है। इस स्थिति के लिए हमारी कानून और व्यवस्था काफी हद तक जिम्मेदार है। हमारे सामाजिक ढांचे में चूंकि गरीबों की स्थिति बहुत खराब है, अमीर उन्हें अपने पास नहीं फटकने देना चाहते, सामाजिक जीवन में उनकी सहभागिता तो दूर की बात है, ऐसे में अगर कोई उन्हें प्यार-दुलार से अपनी समानता में लाकर बात करता है तो जाहिर तौर पर इसका मनोवैज्ञानिक असर होता है। गरीबों को लगता है कि हमारे लिए कानून, न्याय व्यवस्था जो काम नहीं कर रही है सत्ता में बैठे लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, मगर देखो एक साधु हमारे लिए किस हद तक सोच रहा है। हमारी बेटियों की शादियों के लिए सहायता कर रहा है या फिर हमारे बच्चों के स्कूली शिक्षा में योगदान दे रहा है। बाबाओं ने गरीबों के इस मनोविज्ञान को बखूबी समझा है।

मध्यवर्ग क्यों आता है यहां

उच्च और मध्य वर्गीय लोगों के बाबाओं के अनुयायी बनने का मनोवैज्ञानिक कारण देखें तो वो है इस वर्ग में व्याप्त तनावपूर्ण जीवन। इनमें से ज्यादातर लोग जो पढ़े—लिखे, खाते—पीते, अच्छे खासे ओहदों पर हैं, चूंकि मानसिक रूप से किसी न किसी रूप से परेशान रहते हैं, तो मन की शांति की तलाश में बाबाओं के शरणागत होते हैं। धर्म के ठेकेदार और भगवान बने बैठे इन बाबाओं को पता है कि यह खाता—पीता वर्ग उनके पास सिर्फ मानसिक शांति के उपाय के लिए आता है तो वह भी उनका भरपूर फायदा उठाते हैं।

सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों हैं भक्त

मान लीजिए आपका कोई दोस्त—साथी है और आपको उससे बात करके मानसिक शांति मिलती है या अपनी समस्याओं का समाधान मिलता है, मगर आप यह बात अपने घर में बताएंगे कि आपके फलां दोस्त के पास जा रहे हैं या फिर घर से बाहर लोग यह जानेंगे कि आप किसी लड़के—परपुरूष से मिल रही हैं तो आप पर लांछन लगने शुरू हो जाएंगे। मगर जैसे ही आप किसी बाबा—साधु के पास जाने और उनकी शिष्या बनने की बात घर या बाहर बताएंगे तो घर के साथ—साथ समाज भी आपकी वाहवाही करेगा कि देखो कितनी सभ्य और शालीन महिला/युवती है, बाबाओं की शरण में जाकर पूजा—पाठ करती है।

बाबाओं के मामले में भी यह मास हिस्टीरिया टाइप बन गया है, लग रहा है लोग अटेंशन पाने के लिए भी बाबाओं के समर्थन में होने वाली रैलियों में जाते हैं। यहां उन्हें अटेंशन मिलता है, जैसे तमाम न्यूज चैनल इंटरव्यू कर रहे हैं, पुलिसवाले घटना की छानबीन कर रहे हैं, कहीं न कहीं सेलिब्रेटी जैसा अहसास होता है उन्हें।

(प्रेमा नेगी से बातचीत पर आधारित)

उस पत्रकार की कहानी जिसने राम रहीम को उखाड़ फेंका

जो लोग बड़ी मीडिया के नाम पर मोहित होते हैं, उन्हें एक बार राम रहीम के गुंडों द्वारा मारे जा चुके पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का जीवन संघर्ष पढ़ना चाहिए कि कैसे उन्होंने स्थानीय और एक छोटे अखबार पूरा सच के संपादक रहते हुए राम रहीम के खिलाफ वह लिख पाए बड़ी मीडिया कभी नहीं कर पाई।

पढीए, सिरसा के कवि और पत्रकार वीरेन्द्र भाटिया का संस्मरण कि 'पूरा सच' के संपादक रहते हुए रामचंद्र छत्रपति ने कैसे किया बलात्कारी राम रहीम के गुनाहों का सिलसिलेवार खुलासा।

दरअसल छत्रपति केवल एक पत्रकार का नाम नहीं है। वे गणेश शंकर विद्यार्थी की परंपरा के एक ऐसे पत्रकार थे जो सच्चाई के पक्ष में निर्भीकता के साथ खड़े रहे। उनके जीते जी हम उनका सही मूल्यांकन नहीं कर पाए लेकिन उनके जाने के बाद हम महसूस करते हैं कि उनका कद कितना बड़ा था।

छत्रपति एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुये थे। वे बेहद संवेदनशील होने के साथ साथ बेहद जहीन भी थे। उन्होंने वकालत पास की थी लेकिन इस व्यवसाय के छल प्रपंच के वे अभयस्त नहीं हो पाए। उनके सामने एक ऐसा समाज था जो कदम-कदम पर अपने को उपेक्षित महसूस करता था। इस वंचित और उपेक्षित समाज और उसके सपनो के रास्ते में कितनी बाधाएं थीं, कितने षडयंत्र थे वे प्रत्यक्ष देखा करते थे।

उन्होंने पत्रकारिता को व्यवसाय के रूप में अपनाया और उसे समाज हित मे मिशन में बदल दिया। लेकिन हर पत्रकार इतना भाग्यशाली नहीं होता की वह स्वतंत्र होकर सच लिख सके। कई अखबारों में काम कर चुकने के बाद अंततः उन्होंने अपनी हैसियत के अनुरूप एक छोटा अखबार निकाला।

अखबार का नाम था %पूरा सच% अखबार का स्वरूप स्थानीय था, तो जाहिर है उसे टकराना भी स्थानीय ताकतों से था। उसने कई ऐसे षड्यंत्रों का भंडाफो ? किया कि सरकार काँप उठी।

हर सरकार के नजदीक रहने वाला बहुत शक्तिशाली संस्थान डेरा सच्चा सौदा पाखण्ड और षड्यंत्र का गढ़ बना हुआ था। डेरा प्रमुख और वहां रहने वाले साधुओं पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे थे। वे आरोप चर्चा में आते और विलीन हो जाते, क्योंकि कोई भी पत्रकार इतनी बड़ी सत्ता से टकराना नहीं चाहता था लेकिन छत्रपति को इसी में मजा आ रहा था। छत्रपति ने डेरा सच्चा सौदा के कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू किये। डेरा द्वारा बिजली चोरी, साधुओं—अनुयायियों की गुंडागर्दी की घटनाएं जब अखबार की सुर्खियां बनने लगीं तब डेरा प्रमुख बौखला गया।

सबसे बड़ी खबर जो छत्रपति की मौत

का कारण बनी वह एक पीड़ित साध्वी (अनुयायी) की प्रधानमंत्री को लिखी चिठ्ठी थी, जिसमें यह जिक्र था कि डेरा प्रमुख ने उसका यौन शोषण किया और डेरे में रहने वाली अन्य साध्वियों के साथ अक्सर यही होता है।

इस चिठ्ठी के प्रकाश में आने के बाद साध्वी का भाई जो कि डेरा की महत्त्वपूर्ण प्रबंधक कमेटी का सदस्य था, की रहस्यमयी परिस्थितियो में हत्या हो गई। डेरा को शक था कि साध्वी की लिखी चिठ्ठी रणजीत सिंह ने ही लीक की है। और जब साध्वी की यह चिठ्ठी पूरा सच में प्रमुखता से छपी तो अब तक छत्रपति को खरीदने की कोशिश करता आया डेरा यह बर्दाश्त नहीं कर पाया।

24 अक्टूबर, 2002 को करवाचौथ के दिन डेरे द्वारा भेजे गए दो शूटरों ने 5 गोलियां छत्रपति की देह में उतार दी। संयोगवश एक हत्यारा मौके पर भागते वक्त पकड़ लिया गया। दूसरा बाद में गिरफ्तार किया गया। हरियाणा पुलिस ने हरसंभव कोशिश की कि छत्रपति की हत्या के आरोप से डेरा मुखी साफ़ बच जाए लेकिन छत्रपति के परिवार ने कानूनी लड़ाई लड़ी और सीबीआई जांच की मांग की।

लेकिन डेरा सीबीआई जांच से इतना खौफ खाये था कि वह सीबीआई जांच टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया और अपने अनुयायियों के आक्रामक जुलूस प्रदर्शनों से शक्ति प्रदर्शन भी किये।

छत्रपति का सच के साथ खड़े होने का जिद्दी व्यक्तित्व इतना प्रेरणास्पद है कि हम बार बार उस जिद पर आंसू भी बहाते हैं और अश्रुपूर्ण आँखों से उनकी जिद को सलाम भी कर रहे होते हैं!

उनकी प्रेरणा का आलम ये है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की बढ़ती ताकत को धता बताते हुए तमाम पीड़ित और गवाह अदालत के बाहर खड़ी उनकी आक्रामक अनुयायियों की भी ? से नहीं डरते, वे गुरमीत सिंह के लाव लश्कर से प्रभावित नहीं होते, उन्हें मालूम है कि धारा 302, 120 बी और धारा 376 के आरोप में बिना जेल जाए डेरा प्रमुख नियमित जमानत पर है तो उसके पास ना संपर्कों की कमी है, न पैसे की न हथियारों की। उसके लिए कुछ और लोग मरवा देना मुश्किल नहीं, लेकिन पीड़ित लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ने की राह छत्रपति आसान करके गया, लड़ने की जिद छत्रपति दे कर गया!

छत्रपति इतना करके गया की डेरा प्रमुख को उसकी सुरक्षित गुफा से निकाल कर अदालतों के फेर में डाल गया! आगे अदालत जाने, हमारे देश का कानून जाने!

21 नवम्बर 2002 को छत्रपति हमसे जुदा हो गया लेकिन उसने शहर, समाज, मुल्क, सत्ता, धर्म और पत्रकारिता के सामने ढेर सारे सवालों का पुलिंदा डाल दिया। सवाल जस के तस है। लोग जो 2002 में डेरा फूंक देना चाहते थे आज उसी बाबा के बढ़ते प्रभाव के आगे नतमस्तक हैं। नेता जो छत्रपति के अंतिम संस्कार में डेरा मुखी को जेल भेजने की हुंकार भरके आये थे, वह सभी चुनाव में उससे आशीर्वाद मांगने कतारबद्ध खड़े होते हैं।

इनेलो को तब लगता था कि डेरा उनके अहसान को ताउम्र ढोता रहेगा, लेकिन वह अगले ही चुनाव में कांग्रेसमयी हो गया। 10 साल कांग्रेस ने उसे खुल कर धींगामस्ती करने का मैदान मुहैया करवाया। तीन राज्यों में इनके अनुयायोयियों ने सीबीआई जांच के विरोध में सुनियोजित तरीके से बसें जलाईं, लेकिन पंजाब में इनके 35 लोगों को सजा हुई। बाकी जगह इनका कुछ नहीं बिगड़ा। रोज अदालत में धारा 144 तो हजारों अनुयायी गुरमीत की पेशी के वक्त खड़े होते हैं। उनकी गाड़ियों में लाठी जेली बन्दूक राइफल सब होते हैं लेकिन कोई केस कोई गिरफ्तारी नहीं। बाबा को कांग्रेस सरकार ने जेड पल्स सुरक्षा उपलब्ध कराई।

आज भाजपा राज में भी जारी है। वर्तमान पूरी राज्य सरकार डेरा में माथा टेक चुकी है। बाबा का दावा है कि उनके 5 करोड़ अनुयायी हैं। अनुयायी बनाने का काम छत्रपति की हत्या के बाद युद्ध स्तर पर किया गया। ताकत पैसा और संपर्क बढाने का काम भी युद्धस्तर पर हुआ, ताकि दम्भ और ताकत से फरेब की लड़ाई जीती जा सके।

हम किसी मुगालते में नहीं क्योंकि हमारे तमाम मुगालते छत्रपति दूर कर गया। छत्रपति लेकिन हमें जो एक चीज देकर गया वह अनमोल है की तमाम अंधकारों के बीच लड़ना हमारे हाथ है। हम लड़ रहे हैं अपने सीमित साधनों से लेकिन हौसले असीमित हैं बिलकुल छत्रपति जैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश के कोने कोने में बहुत से छत्रपति लड़ रहे हैं।

(वीरेंद्र भाटिया पूरा सच अखबार में 'ब्रेक के बाद' नियमित कॉलम लिखते रहे हैं। नियमित संपादक की कमी और डेरा सच्चा सौदा की गुंडई के कारण 2012 से अखबार बंद है। वे 2010 से शुरू हुई संस्था %संवाद% से भी जुड़े हैं। यह संस्था पीड़ितों के लिए आवाज उठाने वालों को %रामचंद्र छत्रपति पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित करती है)

हंसराज चौहान ने किया था 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का खुलासा

सुनिए क्या कहते हैं डेरा के पूर्व साधु हंसराज चौहान, जिन्होंने राम रहीम द्वारा 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला किया है कोर्ट में दर्ज

फतेहाबाद, (जनज्वार) धर्म की आड़ लेकर बलात्कार, हत्या जैसे संगीन मामलों में दोषी पाए गए राम रहीम पर 400 से अधिक साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला भी हाईकोर्ट में लंबित है। कोर्ट में साधुओं को नपुंसक बनाने वाली याचिका डेरा सच्चा सौदा से जुड़े रहे एक पूर्व साधु हंसराज चौहान ने दायर की है।

राम रहीम मामले में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं को देखते हुए डेरे के पूर्व साधु रहे हंसराज चौहान की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। यौन शोषण पर सीबाआई कोर्ट द्वारा राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हंस राज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

गौरतलब है कि हंस राज चौहान भी राम रहीम के जुल्मों के शिकार हुए हैं। पीड़ीत पूर्व साधु ने राम रहीम के मामले में दिए गए कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कोर्ट से अपील की है कि राम रहीम के खिलाफ चल रहे सभी मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाए। साथ ही उन्होंने यौन शोषण मामले में इंसाफ करने वाले न्यायाधीश के जज्बे को सलाम करते हुए उम्मीद जतायी कि इसके बाद अब राम रहीम के खिलाफ महिलाएं खुलकर आएंगी। इससे उन महिलाओं को न्याय की उम्मीद जरूर जगी होगी, जिनका राम रहीम द्वारा यौन शोषण किया गया है। हंसराज के मुताबिक वे डेरा सच्चा सौदा मे काफी समय तक साधु रहे हैं। उन्होंने वहां पर लोगों के साथ हुए अत्याचारों को काफी करीब से देखा है।

गौरतलब है कि हंसराज ने डेरे में 400 से अधिक साधुओं को नंपुसक बनाने के मामले में कोर्ट मे याचिका दायर कर रखी है और सीबीआई उस मामले की जांच कर रही है। हंसराज की ओर से कोर्ट को उन 166 साधुओं की लिस्ट भी सौंप दी गई है, जिनको डेरे में नपुंसक बनाया गया है। हंसराज चौहान ने अपनी याचिका में कहा था कि डेरा प्रमुख राम रहीम के इशारे पर डेरा अस्पताल के डॉक्टरों की टीम साधुओं को नपुंसक बनाती थी, जिसके बाद उनसे भगवान के दर्शन होने की बात कही जाती थी।

प्राइवेसी देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार :सुप्रीम कोर्ट

प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार बताया

दिल्ली, (जनज्वार) राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना है कि निजता हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और संविधान में वह इसी रूप में मौजूद रहेगा।

निजता को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखने का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से दिया है। इस मामले की सुनवाई नौ जजों की संवैधानिक पीठ ने 6 दिनों तक की थीं और फैसला 2 अगस्त को सुरक्षित रख लिया था। पीठ की अध्यक्षता चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने की।

प्राइवेसी को मौलिक अधिकार बनाए रखने की याचिका चर्चित वकील प्रशांत भूषण ने दाखिल की थी। फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत ही अभिव्यक्ति की आजादी को भी रखा गया है।

आधार कार्ड का आधार रखने वाले कांग्रेसी सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के मुताबिक आधार कार्ड में कोई समस्या नहीं है लेकिन यह सरकार आधार का दुरुपयोग कर रही है। ध्यान रहे कि जब कांग्रेस सरकार में इस कार्ड की शुरुआत हुई थी तब देश में व्यापक विरोध हुआ था। तब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आधार को देश के लिए घातक बताया था।

गौरतलब है कि निजता किसी नागरिक का मौलिक अधिकार है कि नहीं, मुद्दा तब बना जब केंद्र सरकार ने निजता को मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया। सरकार को यह स्टैंड आधार कार्ड के मामले में लेना पड़ा, क्योंकि सरकार नागरिकों के हर कामकाज के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को लागू करने पर आमादा थी।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा भी था कि डिजिटल दौर में राइट टू प्राइवेसी जैसा कुछ नहीं बचा है।

प्रशांत भूषण कहते हैं, 'इस फैसले से इतना तो साफ हो गया है कि रेलवे, एयरलाइन जैसे रिजर्वेशन के लिए जानकारी मांगी जाती है, तो ऐसी स्थिति में नागरिक अपने अधिकार के तहत देने से इनकार कर सकेगा'।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा है और इसे फासिस्ट ताकतों की हार बताया है।